प्रकरण संख्या 68/2022 जीवाराम व अन्य बनाम भेरा के बजाय उदयलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बलीचा, तहसील लसाड़िया में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की पैत्रक आराजी नंबर 694 रकबा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष वाला जी थे। वाला जी के चार पुत्र भेरा, अमरा, गांगा व नाथू हुए। इस प्रकार प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है। अमरा के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व गांगा के वारिस वादी संख्या 2 व 3 हैं तथा नाथू का वारिस वादी संख्या 4 है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मन में बदनियती आ जाने से मुख्य सड़क की बेशकीमती जमीन जबरन किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करना चाहते हैं, जबकि पक्षकारान के मध्य अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण का अपनी पैत्रक भूमि में 3/4 हिस्सा है। अतः पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 10.11.2021 से वादीगण का वाद स्वीकार का प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 08.09.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मन्नाराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी को सम्मन नहीं भेजा गया न ही उन्हें सुना गया। अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित होने को कहा गया, किन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 10.11.2021 को निर्णय पारित कर दिया गया। निर्णय की नकल प्राप्त होने पर दिनांक 10.06.2022 को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया। हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि आप न्यायालय द्वारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:14 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित रहने हेतु लिखा गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उससे पूर्व ही दिनांक 10.11.2021 को निर्णय पारित कर दिया गया, जबकि विधि अनुसार दिनांक 29.11.2021 से पूर्व कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रकिया को ताक में रखकर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड आदेश की पालना करते हुए पत्रावली पर प्रस्तुत विड्रो प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णय करना चाहिए था, जो नहीं किया जाकर वाद डिक्री करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2021 अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का यह कथन कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.11.2021 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु लिखा गया था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उससे पूर्व ही दिनांक 10.11.2021 को निर्णय पारित कर दिया। इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया। यह सही है कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.11.2021 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु लिखा गया था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 09.11.2021 को दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 10.11.2021 को प्रशासन गांव के संग शिविर बलीचा में प्रकरण रखा गया। अधिनस्थ न्यायालय में हालांकि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं थे, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्व में प्रारम्भिक डिक्री बाबत् आदेश हो जाने के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है। प्रकरण में अभी अंतिम डिक्री जारी होना शेष है, ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण अंतिम डिक्री के समय अपना पक्ष रख सकते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.11.2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबंध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:14 IST
Reason: SelfAttested